

27-12-23 पत्रावली पेशादुर्ग वकील प्राधी उपस्थित।  
वकील प्राधी ने प्रकरण में Not Press  
जाहिर किया, अतः प्राधी का प्राथमिक-  
पत्र खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फैसल शुमार होकर  
नम्बर से कम हो।

23.12.23  
उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)

Not Press  
2

